

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

कमांक: प.6(58)चिस्वा/2/2013

जयपुर, दिनांक : 02.02.2015

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी (5) के अन्तर्गत गठित स्कीनिंग कमेटी की अभिशप्ता पर निम्न कनिष्ठ विशेषज्ञों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर (वेतनमान 15600-39100 में ग्रेड पे 7600/-) पदोन्नत किया जाता है, ये यथावत पदस्थापित रहेंगे।

क.स.	नाम चिकित्सक	संवर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ष	डी.ए.सी.पी. देय तिथि
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसिन)					
1	डा. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	सामान्य	01-10-54	1995-96	11-07-2011
2	डा. मुरारी लाल जागीड	सामान्य	15-04-56	1995-96	11-07-2011
3	डा. गजेन्द्र सिंह तातेड	सामान्य	12-03-58	1995-96	01-04-2014 (2 AGI CE & 1 AGI)
4	डा. कृष्ण कुमार व्यास	सामान्य	18-09-53	1995-96	11-07-2011
5	डा. जयराम सिंह लखठकीया	अजा	15-07-57	1996-97	01-04-2013 (2 AGI CE)
6	डा. सुरेन्द्र पाल सिंह	सामान्य	20-08-51	1998-99	11-07-2011
7	डा. राधेश्याम शर्मा	सामान्य	20-08-58	1999-00	01-04-2012 (1 AGI)
कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थिरोग)					
1	डा. नरेन्द्र कुमार पालीवाल	सामान्य	19-09-57	2001-02	01-04-2012 (3 AGI NCE)

- नोट: 1. सभी संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त चिकित्सकों से अचल सम्पत्ति का विवरण एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार बच्चों की सूचना प्राप्त कर ही आवश्यक कार्यवाही करें।
2. उक्त चिकित्सकों का सहायक लेखाधिकारी द्वारा चिकित्सक की सर्विस बुक से पूर्ण सेवा सत्यापन एवं वेतन स्थरीकरण की जांच करने के उपरान्त वेतन निर्धारण करने की अनुशंसा के आधार पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष वेतन निर्धारण करेंगे।
3. उक्त चिकित्सकों के आरोप पत्र/असाधारण अवकाश या सेवा में व्यवधान/अनुपस्थित होने पर वेतन निर्धारण नहीं कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

—56/
(महावीर सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
- 3- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक/श्रम एवं नियोजन विभाग
- 5- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर/प्रबन्ध निदेशक, आर. एम. सी. एल., जयपुर।
- 6- संबंधित कमाण्डर, आर. ए. सी./पुलिस महानिदेशक/मुख्य कार्य. अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद
- 7- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.
- 8- संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान
- 9- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य, आर. एफ. पी. टी. सी.
- 10- संबंधित अधिकारी
- 11- कम्प्यूटर सैल/निजी/रक्षित पत्रावली।
- 12- प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

शासन सहायक सचिव